संख्या- 135/2015/6851/नौ-5-14-18बजट/15

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, फतेहपुर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना से सम्बन्धित प्रायोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, फतेहपुर के पत्र संख्या-77/एस0टी0-डी0एम, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकसी योजना के अन्तर्गत **नगर पालिका परिषद्, फतेहपुर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना** के क्रियान्वयन हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.03.2015 में योजना की अनुमोदित लागत **₹ 2833.69 लाख (₹ अठ्ठाइस करोड़ तैंतीस लाख उन्हत्तर हजार मात्र)** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से प्रथम किश्त के रूप में **₹ 1133.47लाख (₹ ग्यारह करोड़ तैंतीस लाख सैंतालिस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) कार्यदायी संस्था/नगर पालिका परिषद्, फतेहपुर द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना के अन्तर्गत 10018 मीटर लम्बी ड्रेन के सौन्दर्यीकरण एवं उसके आस-पास छायादार/शोभाकारी वृक्ष लगाये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा कमेटी गठित कराकर उसकी देख-रेख में स्थल चयन एवं कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-वितरण प्रणाली, राइजिंग मेन आदि की लम्बाई बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) योजना मे प्रस्तावित बाट आइटम्स् का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को राकेने की दृष्टि से प्रायोजना पर कार्य से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य समसय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-12-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा।

(15) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण की जायेगी।

(16) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी सस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-1211/दस-15, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक : बीएम-9 तथा एलॉटमेंट आईर।</u>

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-135 /2015/6851(1)/नौ-5-14-18बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
3- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम–37 नगर विकास विभाग पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष: 2014–15 (धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–191–नगर निगमों को सहायता–04–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय–0402–नगरीय जल निकासी कार्य–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	550000	298757	208745	208745	341255
योग	550000	298757	208745	208745	341255

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–04–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय–0402–नगरीय जल निकासी कार्य–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	600000	808745	208745	208745	808745
योग	600000	808745	208745	208745	808745

1. **स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–**
नगर निगमों में आंशिक जल निकासी की व्यवस्था है, इसलिए बचत हो रही है।
2. **स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–**
नगर पालिका परिषद् के लिये केवल रू0 6000.00 लाख की बजट व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गयी है, जो अपर्याप्त है। नगर पालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी कार्यो हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या:–660 /ई–8–969 /दस–2015,दिनांक 30 मार्च, 2015

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या– 2045/नौ–5–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
7– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1
8– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-31/03/2015

प्रेषण संख्या:- 135-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-135-2015-6851-9-5-14-18Bud-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	113347000	113347000
		प्रगामी	441806000	441806000
	योग	वर्तमान	113347000	113347000
		प्रगामी	441806000	441806000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ तैंतीस लाख सैंतालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौवालीस करोड़ अठारह लाख छः हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव